उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत
(प्रमुख तथा उप–प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन–विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994

राज्य निर्वाचन आयोग
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत
(प्रमुख तथा उप–प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन–विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994

राज्य निर्वाचन आयोग

(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
उत्तर प्रदेश।

विषय सूची

क्र0 सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रारम्भिक	1-2
2	प्रमुख के निर्वाचन का संचालन, नाम निर्देशन	3-10
3	मतदान	11-19
4	उप–प्रमुख के निर्वाचन का संचालन	20
5	प्रमुखों और उप–प्रमुखों के निर्वाचन सम्बन्धी विवाद	21-27
6	प्रमुख के पद पर निर्वाचन की नोटिस का प्रपत्र	28
7	प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र	29-30
8	क्षे0पं0 के प्रमुख पद के निर्वाचन के लिए नाम–निर्देशन पत्रों की नोटिस	31
9	क्षे0पं0 के प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिए विधिमान्यतः नाम–निर्दिष्ट उम्मीदवारों की सूची	32
10	नाम वापस लेने की नोटिस का प्रपत्र	33
11	उम्मीदवारी वापस लेने के नोटिस की प्राप्ति का प्रपत्र	34
12	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची	35
13	मतपत्र का प्रपत्र	36
14	अनुदेश	37
15	अनपढ़, अन्धे और अशक्त मतदाताओं की सूची	38
16	प्रमुख के पद का निर्वाचन परिणाम	39
17	निर्वाचन परिणाम के अवधारण के लिए अनुदेश	40-44

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप–प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन–विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 264– ख के साथ पठित धारा 237 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप–प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन– विवादों के निपटारे की) नियमावली, 1962 को अतिक्रमित करते हुये राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप– प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन–विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 कही जाएगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषायें**– जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है,

(ख) ''निर्वाचन'' का तात्पर्य किसी क्षेत्र पंचायत के, यथास्थिति, प्रमुख या उप–प्रमुख पद के लिए निर्वाचन से है,

(ग) ''सदस्य'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य से है,

(घ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची 1 में दिये गए प्रपत्र से है,

(ङ) ''पंचायत'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत से है, और

(च) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली की किसी अनुसूची से है।

3. **मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)**– राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचनों के संचालन से संबधित सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा।

4. **निर्वाचन अधिकारी**– जिला मजिस्ट्रेट इस नियमावली के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी होगा।

5. **सहायक निर्वाचन अधिकारी**– निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के सभी या किसी भी कृत्य को करने के लिए सक्षम होगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन संचालित करने के लिए किसी सरकारी विभाग के ऐसे अन्य कर्मचारियों से ऐसी सहायता ले सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

(4) निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने कृत्यों का सम्पादन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अधीन करेंगे।

अध्याय–2
प्रमुख के निर्वाचन का संचालन
नाम–निर्देशन

6. नाम निर्देशन आदि के लिए दिनाँकों का निश्चित किया जाना–

(1) जब कभी अधिनियम के अधीन क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के पद के लिए निर्वाचन कराना अपेक्षित हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा, निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित बातें करेगा–

(क) नाम–निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जाँच करने के लिए दिनाँक जो अधिसूचना के दिनाँक से कम से कम दो दिन पश्चात् का दिनाँक होगा,

(ख) उम्मीदवारी वापस लेने का दिनाँक और समय, जो नाम–निर्देशन– पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जाँच के लिए नियत दिनाँक के बाद का सामान्यतः अगला दिन होगा, और

(ग) वह दिनाँक, जब और वे घंटे जिनके दौरान मतदान, यदि आवश्यक हो, कराया जाएगा। यह दिनाँक खण्ड (ख) में नियत दिनाँक के बाद सामान्यतः अगला दिन होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने जाने पर निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना प्रपत्र 1 में हिन्दी में नोटिस की एक प्रति अपने कार्यालय में और दूसरी खण्ड के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर चिपकवाकर तथा ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, देगा जिसे वह उचित समझे, और प्रत्येक सदस्य के अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस की एक प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन भिजवायेगा।

7. सदस्यों की सूची– (1) नियम 6 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व, निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा जो क्षेत्र पंचायत के तत्समय सदस्य हों और सूची की एक प्रमाणित प्रति अपने कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय और क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय में ऐसे अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जिन्हें वह उचित समझे, चिपकवाकर उसकी सार्वजनिक सूचना देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय सूची में ऐसी शुद्धियां कर सकता है जो सदस्यता में कोई परिवर्तन होने या सूची में कोई त्रुटि मालूम होने के कारण आवश्यक हो जाए चाहे वह किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के सबन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावा या आपत्ति पर विचार करने पर मालूम हुई या अन्य किसी प्रकार से :

प्रतिबन्ध यह है कि सूची में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति का नाम उसमें से तब तक न निकाला जाएगा जब तक कि नाम निकाले जाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना उस व्यक्ति को न दे दी गई हो और उसे नाम निकाले जाने के प्रस्ताव के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

8. नाम–निर्देशन– (1) कोई व्यक्ति जो पंचायत के प्रमुख के पद के लिए होने वाले निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम–निर्देशन चाहता हो, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र 2 में यथाविधि भरा हुआ नाम–निर्देशन पत्र 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपरान्ह के बीच, नियम 6 के अधीन नोटिस में उल्लिखित दिनाँक को और स्थान पर देगा।

(2) उम्मीदवार नाम–निर्देशन पत्र पर नाम–निर्देशन के लिए सम्मति देने के प्रतीक– स्वरूप स्वयं हस्ताक्षर करेगा और प्रस्तावक के रूप में एक सदस्य और अनुमोदक के रूप में दूसरा सदस्य भी उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) जहाँ कोई उम्मीदवार अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नाम–निर्देशन–पत्र के साथ इस आशय का एक घोषणा–पत्र देगा कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है और अपनी विशिष्ट जनजाति या जाति भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) उपनियम (1) में उल्लिखित अन्तिम समय के पश्चात् प्रस्तुत किया गया नाम–निर्देशन–पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा तुरन्त ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

8–क. नाम निर्देशन–पत्रों का मुद्रण तथा मूल्य– राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये किसी निर्देश के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट प्रपत्र–2 में नाम निर्देशन–पत्रों की छपाई और उम्मीदवारों को उनकी पूर्ति की व्यवस्था करेगा। किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिए प्रत्येक नाम निर्देशन–पत्र का मूल्य ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार के परामर्श से समय–समय पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाये।

9. जमा– (1) किसी क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख अथवा कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों पर निर्वाचन हेतु कोई उम्मीदवार तब तक सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा, जब तक कि वह प्रतिभूति (जमानत) के रूप में उतनी धनराशि, जितनी धनराशि राज्य निर्वाचन आयेाग द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श से नियत की जाये, को जमा न करें अथवा जमा नहीं करा देता है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऐसी जमा धनराशि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नियत धनराशि की आधी होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उम्मीदवार उसी निर्वाचन के लिए एक से अधिक नाम–निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट कर दिया गया हो तो इस उपनियम के अधीन उससे अधिक धनराशि जमा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन जिस धनराशि का जमा किया जाना अपेक्षित है, उसके बारे में तब तक यह नहीं समझा जाएगा कि यह उक्त उप नियम के अधीन जमा की जा चुकी है जब तक कि नियम 8 के अधीन नाम–निर्देशन–पत्र देते समय उम्मीदवार ने निर्वाचन अधिकारी के पास उतनी धनराशि नकद जमा न कर दी हो या नाम–निर्देशन–पत्र के साथ ऐसी रसीद संलग्न न कर दी हो, जिससे यह प्रदर्शित हो कि उक्त धनराशि उसके द्वारा या उसकी ओर से सरकारी कोषागार में या भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जा चुकी है।

10. नाम–निर्देशन–पत्रों के प्रस्तुत किए जाने पर प्रक्रिया– निर्वाचन अधिकारी नियम 8 के अधीन नाम–निर्देशन–पत्र प्राप्त होने पर, उस पर उसकी क्रम–संख्या दर्ज करेगा और यह भी लिखेगा कि उसे नाम–निर्देशन–पत्र किस दिनाँक को और कितने बजे दिया गया। उसके पश्चात् यथाशक्यशीघ्र वह प्रपत्र 3 में नाम–निर्देशन की एक ऐसी सूचना अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा देगा जिसमें उम्मीदवारों का और उन व्यक्तियों का जिन्होंने नाम–निर्देशन–पत्रों पर प्रस्तावकों और अनुमोदकों के रूप में हस्ताक्षर किए हों, वैसा ही उल्लेख होगा जैसा कि नाम–निर्देशन– पत्र में दिया होगा।

11. नाम–निर्देशन पत्रों की जाँच– (1) नाम–निर्देशन– पत्रों की जाँच के समय उम्मीदवार, उनके प्रस्तावक और अनुमोदक उपस्थित हो सकते हैं, किन्तु अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता। निर्वाचन अधिकारी उन्हें यथाविधि प्राप्त हुए नाम–निर्देशन– पत्रों का परीक्षण करने के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधायें प्रदान करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी नाम–निर्देशन– पत्रों की जाँच करेगा और उन सभी आपत्तियों पर, जो किसी नाम–निर्देशन के सम्बन्ध में की जाऐं, अपना निर्णय देगा और या तो इस प्रकार की गयी आपत्ति पर या स्वतः ऐसी संक्षिप्त जाँच के पश्चात् यदि कोई की जाए, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नाम– निर्देशन को निम्नलिखित किसी भी आधार पर अस्वीकृत कर सकता है :

(क) उम्मीदवार पद के लिए अधिनियम के अधीन चुने जाने के निमित्त अर्ह नहीं है,

(ख) उम्मीदवार पद के निमित्त अधिनियम के अधीन चुने जाने के लिए अनर्ह है,

(ग) नियम 8 और 9 के किन्हीं उपबन्धों के पालन में विफलता हुई है,

(घ) उम्मीदवार या प्रस्तावक या अनुमोदक का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है या उसे धोखे से प्राप्त किया गया है, या

(ङ) उम्मीदवार सदस्य नहीं है,

(च) प्रस्तावक या अनुमोदक सदस्य नहीं है,

(छ) उम्मीदवार उस जनजाति या जाति या वर्ग या लिंग का नहीं है जिसके लिए पद इस प्रकार आरक्षित है।

(3) यदि उम्मीदवार किसी ऐसे अन्य नाम–निर्देशन– पत्र द्वारा यथाविधि नाम निर्दिष्ट हो जाए जिसके सम्बन्ध में कोई अनियमितता न हुई हो तो उप– नियम (2) के खण्ड (ग), (घ) या (ङ), (च) या (छ) में दी हुई किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी अन्य नाम–निर्देशन– पत्र के सम्बन्ध में हुई किसी अनियमितता के आधार पर उम्मीदवार के नाम–निर्देशन को अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

(4) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम–निर्देशन पत्र को किसी ऐसे तकनीकी दोष या अन्य त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं करेगा, जो सारवान न हो और वह ऐसे किसी दोष या त्रुटि के दूर किए जाने के निमित्त नाम–निर्देशन पत्र की किसी भी प्रविष्टि को, जिसमें निर्वाचक नामावली में नाम या संख्या से संबद्ध प्रविष्टि भी सम्मिलित है, शुद्ध किए जाने की अनुमति दे सकता है।

(5) उपनियम (4) के अधीन शुद्धि करने के निमित्त दिया गया निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जाएगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नियम 6 के अधीन जाँच के लिए नियत दिनाँक और समय पर जाँच करेगा और कार्यवाही को किसी भी प्रकार स्थगित न होने देगा सिवाय उस दशा के जब उक्त कार्यवाही में ऐसे कारणों से रुकावट या बाधा पड़ रही हो जो उसके वश के बाहर हो।

(7) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम–निर्देशन– पत्र पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय लिखेगा और

यदि नाम–निर्देशन– पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो वह ऐसी अस्वीकृत के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखेगा।

(8) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 7 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह प्रमुख पद के निर्वाचन के लिए अर्ह है।

(9) सभी नाम–निर्देशन– पत्रों की जाँच और उसको स्वीकृत और अस्वीकृत करने के विनिश्चयों के अभिलिखित हो जाने के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र– 3 क में विधिमान्य रूप से नाम–निर्दिष्ट उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा अर्थात् उन उम्मीदवारों की जिनके नाम–निर्देशन विधिमान्य पाए गए हैं और इसे अपने सूचना पट्ट पर चिपकाएगा।

12. उम्मीदवारी से नाम वापस लेना– (1) कोई भी उम्मीदवार प्रपत्र 4 में लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है। इस नोटिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और वह निर्वाचन अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, जिसे ऐसे उम्मीदवार ने लिखित रूप से तदर्थ प्राधिकृत किया हो, नियम 6 के अधीन नियत दिनाँक और घंटो के बीच दिया जाएगा।

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उप नियम (1) के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, उक्त नोटिस रद्द न करने दिया जाएगा।

(3) उप–नियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उस पर उसके दिये जाने का दिनाँक और समय और उस व्यक्ति का नाम लिखेगा जिसके द्वारा यह दिया गया हो।

(4) यदि उम्मीदवार उम्मीदवारी से अपना नाम नियम 6 के अधीन विहित अवधि के भीतर वापस ले लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की धनराशि लौटा दी जाएगी।

(5) निर्वाचन अधिकारी, उप नियम (1) के अधीन नाम वापस लेने की सूचना प्राप्त होने और नाम वापस लेने वाली सूचना और सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान की यथार्थता के सम्बन्ध में समाधान होने के पश्चात्, प्रपत्र 5 में नाम वापस लेने की सूचना तैयार करवाएगा और अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकवाएगा।

(6) उप नियम (1) में वर्णित दिन और समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली वापस लेने की नोटिस पर निर्वाचन अधिकारी ध्यान नहीं देगा, किन्तु यदि मतदान प्रारम्भ होने से पहले किसी समय नियम 13 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में प्रविष्ट, एक को छोड़कर सभी उम्मीदवारों से नाम वापस लेने की नोटिस प्राप्त हो जाए तो रिटर्निंग अधिकारी आदेश देगा कि मतदान नहीं कराया जाएगा और उस स्थिति में नियम 14 के अधीन कार्यवाही करेगा।

13. वैध नाम–निर्देशन की सूची और उसका प्रकाशन– (1) यदि नियम 12 के उप– नियम (1) के अधीन नामों की वापसी, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले दो या अधिक उम्मीदवार हों तो रिटर्निंग अधिकारी प्रपत्र– 6 में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना–पट्ट पर और एक प्रति क्षेत्र पंचायत के कार्यालय पर चिपकवाकर उसे प्रकाशित करायेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि में हिन्दी में तैयार की जाएगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ, जैसा नाम निर्देशन पत्र में दिये गए हों, दिये जायेंगे।

14. निर्विरोध निर्वाचन और परिणाम की घोषणा– यदि नियम 11 के उप नियम (9) के अधीन केवल एक उम्मीदवार वैध रूप से नाम– निर्दिष्ट हो, या यदि नियम 12 के अधीन नाम वापस लेने के परिणामस्वरूप केवल एक ही उम्मीदवार रह गया हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवार को तुरन्त प्रमुख के पद पर विधित :

निर्वाचित घोषित करेगा और ऐसी घोषणा की एक प्रति क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर ऐसे सहजदृश्य स्थान पर चिपकवायेगा जिसे वह उचित समझे और परिणाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट और राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजेगा।

15. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु– यदि किसी उम्मीदवार की, जिसका नाम–निर्देशन नियम 11 के अधीन जाँच करने पर वैध पाया गया हो और जिसने नियम 12 के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना नियम 13 के उप– नियम (1) के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन से पहले प्राप्त हो जाए या यदि निर्वाचन लड़ने वाले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाचन अधिकारी को मतदान प्रारम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाए तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार की मृत्यु के संबंध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रदद् कर देगा और इस निर्वाचन की सभी कार्यवाहियॉ हर प्रकार से उसी तरह नए सिरे से प्रारम्भ की जाएंगी मानो कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी उम्मीदवार के मामले में, जिसका नाम–निर्देशन मतदान के रद्द किए जाने के समय वैध रहा हो, पुनः नाम–निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने नियम 12 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की नोटिस मतदान रदद् किए जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार रद्द किए जाने के बाद निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम– निर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र न होगा।

16. उम्मीदवारी के लिए नाम न होना– यदि कोई भी व्यक्ति यथाविधि नाम निर्दिष्ट न हुआ हो या यथाविधि नाम–निर्दिष्ट सभी व्यक्ति नियम 12 के अधीन अपनी– अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें तो कार्यवाहियां नए सिरे से प्रारम्भ की जाएंगी मानों वे किसी नए निर्वाचन के लिए हों।

मतदान

17. मतदान की रीति– निर्वाचन में मतदान अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (System of Proportional represention) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान (secret ballot) द्वारा होगा। मत मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (Proxy) द्वारा नहीं स्वीकार किया जाएगा।

18. मतदान का स्थान और समय– मतदान खण्ड के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर होगा जिसे निर्वाचन अधिकारी निश्चित करें, और नियम 6 के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट घंटों के भीतर होगा।

19. मतपत्र और मतपेटी– (1) निर्वाचन में उपयोग किए जाने वाले मतपत्र प्रपत्र 7 में होंगे और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम उसमें हिन्दी में, उसी क्रम में दिये हुए होंगे जिस क्रम में वे नियम 13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में हों।

(2) मतदान में उपयोग की जाने वाली मतपेटी ऐसे किसी प्रकार की होगी, जिसका अनुमोदन राज्य निर्वाचन आयोग ने किया हो।

20. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व की प्रक्रिया– (1) मतदान प्रारम्भ होने के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने देगा।

(2) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी मतपेटी को इस प्रकार सुरक्षित और मुहरबन्द करेगा कि मतपत्र डालने का छेद खुला रहे।

21. मतदान– स्थल में प्रवेश– (1) निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को मतदान स्थल से बाहर रखेगा–

(क) उम्मीदवार,

(ख) सदस्य, और

(ग) अन्य ऐसे व्यक्ति, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय–समय पर आने दें।

(2) निर्वाचन अधिकारी नियम 6 के अधीन निर्धारित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद वहाँ किसी भी सदस्य को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सभी सदस्यों को जो उस स्थल के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किए जाने के पूर्व, उपस्थित हों अपना मत अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

22. मत–पत्र देने की प्रक्रिया– (1) निर्वाचन अधिकारी अपने समक्ष नियम 7 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची रखेगा।

(2) किसी सदस्य को मतपत्र दिये जाने के ठीक पहले उस सूची में उसके नाम के सामने एक चिह्न बना दिया जाएगा और सदस्य का नाम, जैसा कि उस सूची में दिया गया हो, मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज कर दिया जाएगा।

(3) मतपत्र की प्राप्ति के प्रतीक–स्वरूप सदस्य सूची में हस्ताक्षर करेगा।

(4) किसी सदस्य को मतपत्र दिये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य की पहचान (Identity) के बारे में अपना समाधान कर लेगा और इस प्रयोजन के लिए वह ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकता है जिन्हें वह ठीक समझे।

(5) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में निर्वाचन अधिकारी का समाधान न हुआ हो, तो वह उन परिस्थितियों की संक्षिप्त टिप्पणी अभिलिखित करने के उपरान्त जिनमें मतपत्र देने से इंकार किया गया हो, उसे मतपत्र देने से इन्कार कर सकता है।

(6) जैसे ही मतपत्रों का दिया जाना समाप्त हो जाए, निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों के प्रतिपर्णों को एक लिफाफे में रखेगा, उसे बन्द करेगा तथा उस पर मुहर लगायेगा। न्यायालय या ऐसे निर्वाचनों से सम्बन्धित किसी विवाद का निर्णय करने वाले अन्य प्राधिकारी के आदेश के बिना लिफाफा नहीं खोला जाएगा।

23. कुछ परिस्थितियों में नए मतपत्र का दिया जाना– (1) यदि किसी सदस्य ने असावधानी (Inadvertently) के कारण अपने मतपत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मतपत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो वह उसे निर्वाचन अधिकारी को देने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर इस प्रकार वापस किए गए मतपत्र के स्थान पर दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और वापस किए गए मतपत्र तथा उनके प्रतिपर्ण पर निर्वाचन अधिकारी वापस किया गया और रद्द किया गया लिख देगा।

(2) इस प्रकार रद्द किया गया मतपत्र उस प्रयोजन के लिए पृथक् रखे गए लिफाफे में रखा जाएगा।

24. सदस्यों द्वारा अप्रयुक्त मतपत्रों का वापस किया जाना– यदि कोई सदस्य अपना मत अंकित करने के प्रयोजन से मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसका प्रयोग न करने का निश्चय करे तो वह उस मतपत्र को निर्वाचन अधिकारी को वापस कर देगा जो उस पर "वापस किया गया तथा रद्द किया गया" लिख देगा और उसे नियम 23 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए पृथक् रखे गए लिफाफे में रखेगा।

25. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान एवं मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को बनाए रखना– (1) प्रत्येक सदस्य जिसे नियम 22 के अधीन या इस आदेश के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र जारी किया गया हो, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् दी गयी मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) प्रत्येक सदस्य को उतने अधिमान (Preference) प्राप्त होंगे जितने उम्मीदवार होंगे किन्तु कोई भी मतपत्र केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जाएगा कि ऐसे सभी अधिमान चिन्हित नहीं किए गए हैं।

(3) मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात, सदस्य तत्काल–

(क) मतदान स्थल पर बने और बाहर से न दिखने वाले मतदान कक्ष में जाएगा,

(ख) अपने मतपत्र में उस उम्मीदवार के नाम के सामने दिये गए स्थान पर जिसे वह अपना प्रथम अधिमान (First preference) देने के लिए चुने, संख्या 1 लिखेगा,

(ग) अपने मतपत्र में अन्य उम्मीदवारों के नामों के सामने दिये गए स्थान पर, अधिमान के क्रमानुसार संख्या 2, 3, 4 आदि लिखकर जितने पश्चातवर्ती अधिमान चाहे अंकित करेगा,

(घ) अपने मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ लेगा,

(ङ) मुड़े हुए मतपत्रों को मतपेटी में इस प्रयोजन के लिए बने छेद से डाल देगा,

(च) तत्पश्चात् मतदान स्थल को छोड़ देगा।

(4) प्रत्येक सदस्य बिना अनावश्यक विलम्ब के मतदान करेगा।

(5) किसी अन्य निर्वाचक के मतदान कक्ष के भीतर मौजूद रहने की स्थिति में किसी अन्य सदस्य को उसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) किसी सदस्य के द्वारा अनुरोध किए जाने पर निर्वाचन अधिकारी मत अंकित करने के लिए मतपत्र में दिये गए अनुदेशों को उसे समझायेगा।

(7) यदि कोई निर्वाचक निरक्षता, अंधेपन या किसी अन्य अशक्तता के कारण मतपत्र को पढ़ने या उस पर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसी निरक्षरता, अंधता या अशक्तता के सम्बन्ध में समाधान कर लेने के पश्चात् निर्वाचक को अपने साथ एक ऐसे साथी जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो और जो मत–पत्र को पढ़ सकने, उस पर निर्वाचक की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने, और यदि आवश्यक हो, तो मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ने और उसे मतपेटी में डालने में समर्थ हों :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी मतदान केन्द्र पर एक ही दिन एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

प्रतिबन्ध यह और कि इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के पूर्व, उससे यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अभिलिखित किए गए मत को गोपनीय रखेगा और कि उसने उस दिन इसके पूर्व किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

निर्वाचन अधिकारी उस उपनियम के अधीन सभी मामलों का प्रपत्र 7–'क' में एक अभिलेख रखेगा।

(8) यदि कोई ऐसा सदस्य जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् ऊपर दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है, तो उसे जारी किया गया मतपत्र चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, उससे निर्वाचन अधिकारी द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

(9) मतपत्र वापस लिए जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी उसके पीछे शब्द ''रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन'' अभिलिखित कर देगा ओर उन शब्दों के नीचे अपना हस्ताक्षर और दिनाँक अंकित करेगा।

(10) ऐसे सभी मतपत्रों को जिन पर शब्द ''रद्द किया गया, प्रक्रिया का उल्लघंन'' अभिलिखित किया गया हो, एक पृथक् आवरण जिसके ऊपर शब्द ''मतपत्र, मतदान प्रक्रिया का उल्लघंन'' लिखा होगा, में रख दिया जाएगा।

(11) इस प्रकार के मतपत्र पर अंकित किए गए इन मतों की गणना नहीं की जाएगी।

26. मतगणना के समय प्रक्रिया— (1) मतदान बन्द होते ही निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उन सदस्यों की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतों की गणना प्रारम्भ करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपेटी खोलेगा, और

(क) उसमें से निकाले गए मतपत्रों को गिनेगा और उनकी संख्या एक विवरण—पत्र में लिख लेगा,

(ख) मतपत्रों की जाँच करेगा तथा उनमें से ऐसे मतपत्रों को, जो उसकी राय में वैध हों, ऐसे मतपत्रों से जो उसकी राय में अवैध हों और जिन पर वह शब्द ''अस्वीकृत'' तथा अस्वीकृत के आधार लिखेगा, अलग रखेगा, और

(ग) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मतपत्रों को पुंजी में रखेगा।

(3) ऐसा मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिस पर—

(क) संख्या 1 अंकित न हो, या

(ख) संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित हो या इस प्रकार अंकित हो कि उससे यह संदेह उत्पन्न होता हो कि किस उम्मीदवार के लिए उसका प्रयोग अभिप्रेत है, या

(ग) संख्या 1 और कोई अन्य संख्या एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित हो, या

(घ) कोई ऐसा चिह्न बनाया गया हो जिसके द्वारा मतदाता बाद में पहचाना जा सके।

27. निर्वाचन फल का अवधारण— प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मतपत्रों को पुंजी (Parcels)में रखने के बाद निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली की अनुसूची 2 में दिये गए अनुदेशों के अनुसार मतदान का परिणाम अवधारित करने की कार्यवाही करेगा।

28. पुनः गणना करना— निर्वाचन अधिकारी, यदि वह पहले की गयी गणना के संबंध में संतुष्ट न हों तो, स्वतः या किसी उम्मीदवार के अनुरोध पर, मतों की पुनः गणना एक या एक से अधिक बार कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यहाँ दी गई किसी बात से निर्वाचन अधिकारी किन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनः गणना कराने के लिए बाध्य नहीं होगा।

29. निर्वाचन की घोषणा— मतगणना समाप्त हो जाने और मतदान परिणाम अवधारित हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी तुरन्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तत्प्रतिकूल किसी निदेश के अभाव में

(क) उपस्थित लोगों के समक्ष निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर देगा :

(ख) जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार को निर्वाचन परिणाम की सूचना देगा :

(ग) प्रपत्र 8 में निर्वाचन की एक विवरणी तैयार करेगा और उसे प्रमाणित करेगाः और

(घ) वैध मतपत्रों तथा अस्वीकृत मतपत्रों को अलग–अलग पैकटों में रख कर मुहर बंद करेगा और ऐसे प्रत्येक पैकेट के ऊपर यह लिखेगा कि उनमें किस प्रकार के मतपत्र हैं।

30. उम्मीदवार के निर्वाचन का दिनाँक— वह दिनाँक जिस पर कोई उम्मीदवार नियम 14 या 29 के प्रतिबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाए, उस उम्मीदवार के निर्वाचन का दिनाँक होगा।

31. निर्वाचन पत्रों की अभिरक्षा, निरीक्षण तथा निस्तारण— (1) रिटर्निंग अधिकारी नियम 29 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचन परिणाम को सूचना देने के पश्चात् पूर्वगत नियमों में निर्दिष्ट मुहरबंद लिफाफों और पैकेटों, नियम 25 के उपनियम (7) में निर्दिष्ट अभिलेखों, नियम 29 के खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गई निर्वाचन की विवरणी को मुहरबंद अलग–अलग लिफाफे में रख कर जिला मजिस्ट्रेट को

भेजेगा। प्रत्येक लिफाफे या पैकेट के ऊपर यह लिखा होगा कि उस में क्या रखा है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में रखे गए मतपत्रों के पैकेट चाहे वे अप्रयुक्त, रद्द किए गए, वैध या अस्वीकृत मतपत्रों के पैकेट हों, और मतपत्रों को जारी करते समय प्रयुक्त सदस्यों की सूची सक्षम न्यायालय की आज्ञा के बिना न खोला जाएगा और उसकी अन्तर्वस्तु (Contents) का किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो निरीक्षण किया जाएगा और न उक्त अन्तर्वस्तु उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अन्य कागज–पत्रों का निरीक्षण करने की आज्ञा जिला मजिस्ट्रेट ऐसे घंटों के बीच जो वह इस प्रयोजन के लिए नियत करे, किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं।

(3) निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण, चाहे उसकी अनुमति उपनियम (2) के अधीन सक्षम न्यायालय ने दी हो या जिला मजिस्ट्रेट ने, प्रति दिन ही के लिए, जब निरीक्षण किया जाए, दस रूपये की फीस का भुगतान करने पर ही किया जा सकेगा, और नियम 29 के खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गई विवरणी की प्रतियॉ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी जो प्रत्येक प्रति के लिए दस रूपये की फीस का भुगतान करने पर उसे मांगे।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन–पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए रखे जायेंगे और तत्पश्चात्, राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गए किसी प्रतिकूल निदेश के अधीन रहते हुए, नष्ट कर दिये जायेंगे।

32. जमा की गई धनराशि की वापसी और जब्ती– (1) यदि किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाये तो वह नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि उम्मीदवार या उस व्यक्ति को जिसने उसे जमा किया हो, वापस करने का आदेश देगा।

(2) यदि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाये तो नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को वापस कर दी जाएगी और यदि उसके द्वारा जमा न की गई हो तो उस व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी जिसके द्वारा वह जमा की गई हो।

(3) यदि निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार निर्वाचित न हो और प्रथम अधिमान के रूप में उसे मिले हुये मतों की संख्या, दिये कुल मतों की संख्या के सातवें भाग से अधिक न हो, तो नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त कर ली जाएगी। जमा की गई धनराशि को इस प्रकार जब्त करने का आदेश रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात् दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, मतदान में दिये मतों की संख्या का निर्देश मतदान में दिये गए केवल वैध मतपत्र की संख्या से है।

(4) उन मामलों में जो पूर्वगामी उपनियमों तथा नियम 12 के अन्तर्गत नहीं आते नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि, गजट में निर्वाचन परिणााम प्रकाशित होने के बाद जितना शीघ्र व्यवहार्य हो उम्मीदवार को या उस व्यक्ति को जिसने जमा की हो, लौटा दी जाएगी।

33. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया— प्रमुख के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, यथासम्भव, वही होगी जो पूर्वगामी नियमों में निर्धारित है।

अध्याय 3

उप–प्रमुख के निर्वाचन का संचालन

34. उप–प्रमुख का निर्वाचन– क्षेत्र पंचायत के एक ज्येष्ठ उप–प्रमुख और एक कनिष्ठ उप– प्रमुख के निर्वाचन के मामले में नियम 3 से 33 तक और प्रपत्र 1 से 7 आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और उस प्रयोजन के लिए वे अवसर के समुपयुक्त शीर्षकों, प्रोद्धरणों (Citations), अभिदेशों और प्रविष्टियों के संबंध में, सभी अपेक्षित अनुकूलनों के साथ समझे तथा प्रयोग किए जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह प्रमुख, ज्येष्ठ उप–प्रमुख और कनिष्ठ उप–प्रमुख के पदों, या उनमें से किसी के पद, के लिए पृथक् रूप से या साथ–साथ निर्वाचन किए जाने का प्रतिषेध करती है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त पदों में से एक से अधिक पदों का निर्वाचन एक साथ हो, तो ऐसे प्रत्येक पद के निर्वाचन के संबंध में सभी प्रक्रिया पृथक्–पृथक् की जाएगी सिवाय केवल इसके कि ऐसे सभी निर्वाचनों के लिए नियम 22 के अधीन पृथक मतपत्र एक साथ जारी किए जा सकते हैं और अंकित किए जाने के पश्चात् वे नियम 25 के अधीन एक ही मतदान बक्से में रखे जा सकते हैं।

अध्याय 4

प्रमुखों और उप–प्रमुखों के निर्वाचन संबंधी विवाद

35. याचिकाएं प्रस्तुत करने का समय और रीति– (1) प्रमुख या उप–प्रमुख के निर्वाचन पर आपत्ति करने की निर्वाचन याचिका नियम 14 या नियम 29 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो ; निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिनाँक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है।

(2) वह प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत की जाएगी या यदि प्रार्थी एक से अधिक हों, तो उनमें से किसी एक या अधिक प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

36. याचिका का प्रपत्र आदि– (1) निर्वाचन याचिका में ऐसा आधार या ऐसे आधार विनिर्दिष्ट किए जायेंगे, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई हो और उसमें उन परिस्थितियों का सारांश दिया जाएगा जिनके कारण उन आधारों पर निर्वाचन पर आपत्ति करना उचित बताया गया हो।

(2) वह व्यक्ति, जिसके निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो और यदि प्रार्थी यह दावा करे कि उक्त व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होगा तो प्रत्येक असफल उम्मीदवार अभ्यर्थी याचिका में प्रत्यर्थी (Respondent) बनाया जाएगा।

37. अनुतोष (Relief) जिसके लिए याची दावा कर सकता है– याची निम्नलिखित घोषणाओं में से किसी के लिए भी दावा कर सकता है–

(क) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है,

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है और वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है।

38. प्रतिभूति— निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करते समय याची उसके साथ इस आशय की एक रसीद संलग्न करेगा कि उसके द्वारा या उस की ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, याचिका के वाद—व्यय की प्रतिभूति के रूप में, पांच सौ रूपये जमा कर दिये गए हैं।

(2) निर्वाचन याचिका पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में नियत न्यायालय फीस या यदि उस अधिनियम में ऐसा कोई न्यायालय फीस नियत न हो, तो न्यायालय फीस स्टाम्पों में एक सौ रूपये की फीस दी जाएगी।

39. स्थान के लिए दावा करने में पारस्परिक दोषारोपण— जब किसी निर्वाचन याचिका में इस घोषणा के लिए दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार यथाविधि सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है, तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्ष इस बात को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य दे सकता है कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन, यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिए याचिका प्रस्तुत की गई होती तो शून्य हो गया होता।

40. प्रक्रिया— (1) जहाँ तक अधिनियम द्वारा या इस नियमावली में व्यवस्था की गई हो उसे छोड़कर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में वादों के संबंध में दी गई प्रक्रिया का, जहाँ तक वह अधिनियम या इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों से असंगत न हो और जहाँ तक वह प्रवृत्त की जा सकती हो, निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई में अनुसरण किया जाएगा : प्रतिबन्ध यह है कि —

(क) एक ही व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में एक या अधिक निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ ही की जा सकती है।

(ख) न्यायाधीश के लिए साक्ष्य को पूर्णरूप से अभिलिखित करना या कराना अपेक्षित न होगा परन्तु वह साक्ष्य का

ऐसा ज्ञापन (Memorandum) तैयार करेगा जो उसकी राय में मामले का निर्णय करने के लिए पर्याप्त हो,

(ग) न्यायाधीश, कार्यवाही के बीच किसी भी समय, याची से, किसी प्रत्यर्थी (Respondent) द्वारा किए गए या किए जाने वाले सम्भावित वाद–व्यय के भुगतान के लिए, अतिरिक्त नकद प्रतिभूति मांग सकता है,

(घ) किसी विवाद्यक (Issue) का निर्णय करने के लिए न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह केवल उतना ही मौखिक या लिखित साक्ष्य, जितना वह आवश्यक समझें, प्रस्तुत करने या लेने की आज्ञा दें,

(ङ) न्यायाधीश के किसी निर्णय के विरूद्ध तथ्य या विधि के प्रश्न पर कोई अपील या पुनरीक्षण (Revision) न किया जा सकेगा,

(च) न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति के, जो यह समझता है कि वह उसके निर्णय से क्षुब्ध है प्रार्थना–पत्र पर, जो निर्णय के दिनाँक से पन्द्रह दिन के भीतर दिया गया हो, किसी भी प्रश्न के संबंध में अपने निर्णय का पुनर्विलोकन (Review) कर सकता है,

(छ) किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति से यह बताने की अपेक्षा न की जाएगी कि उसने निर्वाचन में अपना मत किसे दिया है।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन, 1872) के उपबन्ध सभी प्रकार से निर्वाचन याचिका के विचारण (Trial) में लागू समझे जायेंगे।

(3) निर्वाचन याचिका की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व, या अन्तिम सुनवाई होने के पूर्व, यथास्थिति, याची या याचियों द्वारा, न्यायाधीश के पास याचिका वापस लेने के लिए प्रार्थना–पत्र देकर याचिका वापस ली जा सकती है, और

ऐसा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर याचिका वापस ली गई समझी जाएगी और उसके विचारण के लिए आगे कोई कार्यवाही न की जाएगी।

41. याचिका का उपशमन (Abatement)– (1) निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर नियम 37 के खंड (क) में उल्लिखित घोषणा का दावा करने के लिए प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका उपशमित हो जाएगी।

(2) यदि याची एक ही है तो उसकी और यदि अनेक हैं तो उन सभी की मृत्यु हो जाने की दशा में निर्वाचन याचिका उपशमित हो जाएगी।

(3) यदि निर्वाचन याचिका में नियम 37 के खंड (ख) में उल्लिखित घोषणा का दावा किया गया हो और निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, तो न्यायाधीश गजट में इस घटना की सूचना प्रकाशित करायेगा और उसके उपरान्त कोई भी व्यक्ति, जो याची हो सकता था, उक्त प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर, याचिका का विरोध करने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी के स्थान पर अपना नाम रखे जाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है और उसे उन शर्तों पर जिसे न्यायाधीश ठीक समझें कार्यवाहियों को जारी रखने का हक होगा।

42. न्यायाधीश की शक्ति– (1) यदि याचिका तुच्छ (Frivolous) पाई जाए तो न्यायाधीश यह आदेश दे सकता है कि प्रतिभूति या उसका कोई भी भाग राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जाएगा।

(2) न्यायाधीश द्वारा वाद–व्यय के लिए दिया गया आदेश इस निमित प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा मानों वह किसी वाद में धनराशि के भुगतान के लिए उसी के द्वारा दी गई कोई डिक्री हो।

43. न्यायाधीश के निष्कर्ष— (1) यदि न्यायाधीश ऐसी जाँच के बाद जिसे वह उचित समझे किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसके निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की गई है, इस निर्णय पर पहुंचता है कि उसका निर्वाचन वैध है, तो वह उक्त व्यक्ति के विरूद्ध निर्वाचन याचिका खारिज कर देगा और स्वविवेकानुसार वाद—व्यय दिलायेगा।

(2) यदि न्यायाधीश इस निर्णय पर पंहुचता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध है तो वह या तो :

(क) यह घोषित करेगा कि एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है, या

(ख) यह घोषित करेगा कि दूसरा उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है और इनमें से किसी भी दशा में स्वविवेकानुसार वाद—व्यय दिलवा सकता है।

44. आधार, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है— यदि कोई व्यक्ति, जिसने निर्वाचन— याचिका प्रस्तुत की हो, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के साथ—साथ इस घोषणा की अभियाचना करे कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है और न्यायाधीश का मत हो कि वास्तव में याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार को वैध मतों में से अधिकांश मत प्राप्त हुए हैं, तो न्यायाधीश, निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित करने के बाद, यह घोषित करेगा कि यथास्थिति याची, या उक्त अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार को यथाविधि निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा यदि यह प्रमाणित हो जाए कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता, यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिए याचिका प्रस्तुत की गई होती।

45. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया— यदि निर्वाचन—याचिका के विचारण के समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में उम्मीदवारों को बराबर—बराबर मत प्राप्त हुए हैं, और इनमें से किसी एक को हटाना है, तो —

(क) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहाँ तक वह उन उम्मीदवारों के बीच प्रश्न को अवधारित करता हो, याचिका के प्रयोजनों के लिए भी प्रभावी होगा, और

(ख) जहाँ तक उक्त प्रश्न ऐसे निर्णय द्वारा अवधारित न किया गया हो, न्यायाधीश उनके बीच इस नियमावली की अनुसूची 2 के अनुदेशों के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करेगा।

46. न्यायाधीश के आदेश का प्रभावी होना— नियम 43 के उप— नियम (2) के अधीन न्यायाधीश का आदेश, आदेश के दिनाँक से प्रभावी होगा।

47. आदेश की सूचना और अभिलेख का भेजा जाना— नियम 43 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दिये गए आदेश के घोषित करने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र वह उसकी एक— एक प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

48. जमा की गई प्रतिभूति का निस्तारण और वाद व्यय की वसूली— (1) नियम 42 के उप— नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद—व्यय, यदि कोई हो, जो न्यायाधीश द्वारा किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया हो, नियम 38 और 40 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल किया जा सकेगा और जमा की गई प्रतिभूति का शेष रूपया, यदि कोई हो, याची को वापस कर दिया जाएगा।

(2) वाद—व्यय या उसका कोई भाग, जो किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया हो और जो उप— नियम (1) में निर्दिष्ट जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल न किया गया हो, और किसी प्रत्यर्थी द्वारा याची को देय वाद—व्यय, नियम 42 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किया जा सकेगा।

(3) नियम 43 के अधीन आदेश देते समय न्यायाधीश इस नियम के उपबन्धों के अनुसार वाद–व्यय की वसूली और जमा की गई प्रतिभूति की वापसी के सम्बन्ध में भी आदेश देगा और न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश की एक प्रति नियम 47 के अधीन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट तदनुसार उक्त आदेश को कार्यन्वित करेगा।

49. न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध अपील– (1) नियम 43 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दिये गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील, आदेश के दिनाँक से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय में की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलकर्ता के पास ऐसी अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपनियम (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करे, अपील के ज्ञापन के साथ सरकारी कोषागार की एक रसीद संलग्न करेगा, जिससे यह प्रकट होगा कि उसके द्वारा उच्च न्यायालय के पक्ष में सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक आफ इंण्डिया में अपील व्यय के लिए प्रतिभूति के रूप में पाँच सौ रूपये जमा कर दिये गए हैं।

अनुसूची 1

प्रपत्र 1

[नियम 6]

प्रमुख के पद पर निर्वाचन की नोटिस का प्रपत्र

चूंकि .... जिले की .... क्षेत्र पंचायत... के लिए प्रमुख का निर्वाचन किया जाना है।

मैं, ... उक्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी, एतदद्वारा निम्नलिखित सार्वजनिक नोटिस देता हूँ–

सार्वजनिक नोटिस

(1) नाम–निर्देशन–पत्र अधोहस्ताक्षरी को ....(स्थान) में .... दिये जा सकते हैं या यदि वह उसे लेने में अपरिहार्य रूप से असमर्थ हो तो .... स्थान में ....को दिये जा सकते हैं।

वे (दिनाँक)... को 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपरान्ह तक दिये जायें।

(2) नाम–निर्देशन–पत्रों के परीक्षण का काम...................................... (स्थान)........... .... में (दिनाँक) .... को... बजे आरम्भ होगा।

(3) उम्मीदवारी की वापसी की सूचना किसी उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा पैरा (एक) में उल्लिखित अधिकारी को दिनाँक .... को... बजे उसके कार्यालय पर दी जाएगी।

(4) यदि निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान... (स्थान). .... में दिनाँक... को... बजे और... बजे के बीच होगा।

दिनाँक...

पता...

रिटर्निंग आफिसर

टिप्पणी– नाम–निर्देशन–पत्र के प्रपत्र (दिनाँक) .... से लेकर (दिनाँक) .... तक .... (बजे) से लेकर .... (बजे) के बीच निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

———————————————

प्रपत्र 2

[नियम 8]

प्रमुख के पद के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन–पत्र

क्षेत्र पंचायत.. जिला..

1. उम्मीदवार का नाम..
2. पिता/पति का नाम..
3. आयु..
4. पता..
5. क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जिसकी निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार का नाम सम्मिलित है ....
6. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुखों तथा उप–प्रमुखों का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम 7 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में वह क्रम संख्या जिस पर उम्मीदवार का नाम है.......................
7. प्रस्तावक का नाम और पता ....
8. प्रस्तावक के हस्ताक्षर..
9. अनुमोदक का नाम और पता ....
10. अनुमोदक के हस्ताक्षर..

नोट– यदि नाम–निर्देशन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी पद के लिए है तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप–प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन घोषणा नाम निर्देशन पत्र के साथ दी जाएगी।

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं इस नाम–निर्देशन से सहमत हूँ।

दिनाँक.........................

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिये जाने का प्रमाण–पत्र

क्रम–संख्या.......................

यह नाम–निर्देशन–पत्र मुझे उम्मीदवार/प्रस्तावक/अनुमोदक द्वारा मेरे कार्यालय में....................... (दिनाँक और समय) दिया गया।

निर्वाचन अधिकारी

जाँच का प्रमाण–पत्र

मैंने उम्मीदवार और प्रस्तावक और अनुमोदक की पात्रता (eligibility) की जाँच कर ली है और उनको क्रमशः निर्वाचन के लिए खड़े होने और नाम–निर्देशन का प्रस्ताव और अनुमोदन करने के लिए अर्ह पाता हूँ।

निर्वाचन अधिकारी

टिप्पणी–

(1) यह नाम–निर्देशन–पत्र तब तक विधिमान्य न होगा, जब तक कि वह उस स्थान पर उस दिनाँक को और उस समय के भीतर, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप–प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम 6 के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की गई नोटिस में इस संबंध में विनिर्दिष्ट हो, निर्वाचन अधिकारी या उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत सहायक निर्वाचन अधिकारी को न दिया गया हो।

(2) मद संख्या 2 में अनुपयुक्त विकल्प काट दिया जाए। यदि उम्मीदवार कोई विवाहिता स्त्री या विधवा हो तो पति का नाम प्रत्येक दशा में भरा जाएगा।

—————————————————

प्रपत्र 3

[नियम 10]

.... जिले के .... क्षेत्र पचांयत के प्रमुख पद के निर्वाचन के लिए नाम–निर्देशन पत्रों का नोटिस दिनाँक........................ को 3 बजे दिन तक प्राप्त हुये।

1. क्रम–संख्या..
2. उम्मीदवार का नाम...
3. पिता/पति का नाम..
4. आयु..
5. पता...
6. प्रस्तावक का नाम और पता..
7. अनुमोदक का नाम और पता...
8. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसकी निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार का नाम सम्मिलित है........................
9. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप–प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम 7 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में उम्मीदवार की क्रम संख्या...

निर्वाचन अधिकारी

———————————————

प्रपत्र 3—क

[नियम 11 (9)]

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिए विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की सूची

क्र0सं0	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	उम्मीदवार का पता
1	2	3	4
1			
2			
3			
इत्यादि			

स्थान
दिनाँक

निर्वाचन अधिकारी
के हस्ताक्षर

———————————————

प्रपत्र 4

[नियम 12]

नाम वापस लेने की नोटिस का प्रपत्र

सेवा में,

निर्वाचन अधिकारी,

....

....

विषय .... जिले की ....
क्षेत्र के पंचायत के प्रमुख के पद के लिए निर्वाचन।

मैं, ... निवासी .... उम्मीदवार जिसका उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नाम–निर्देशन किया गया है, एतद्द्वारा नोटिस देता हूँ कि मैं उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेता हूँ।

आज दिनाँक........................

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(कार्यालय में भरा जाएगा)

नाम वापस लेने का यह नोटिस उम्मीदवार/उम्मीदवारों द्वारा इसे देने के लिए प्राधिकृत उसके प्रस्तावक/अनुमोदक .... ने दिनाँक....................... को .... बजे .... मेरे कार्यालय में मुझे दिया।

निर्वाचन अधिकारी

———————————————

प्रपत्र 5

[नियम 12]

उम्मीदवारी वापस लेने के नोटिस की प्राप्ति

.... जिले की.. क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारी/उम्मीदवारियों से नाम वापस लेने की नोटिस दिनाँक........................ को निम्नलिखित उम्मीदवार/निम्नलिखित उम्मीदवारों में से प्रत्येक से प्राप्त हुआ/हुए।

उम्मीदवार का/उम्मीदवारों के नाम :

1. ....

2. ....

इत्यादि।

दिनाँक........................

निर्वाचन अधिकारी

———————————————

प्रपत्र 6

[नियम 13]

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

क्षेत्र पंचायत...................... जिला......................

<u>प्रमुख के पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची</u>

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची

क्र0सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
इत्यादि		

निर्वाचन अधिकारी

———————————————

प्रपत्र 7

[नियम 19]

मतपत्र का प्रपत्र

प्रतिपर्ण (counterfoil)	वाह्यपर्ण (outerfoil)
क्षेत्र पचांयत........................	क्षेत्र पंचायत........................
जिला........................	जिला........................
प्रमुख का निर्वाचन, 20.....	प्रमुख का निर्वाचन, 20.....
मतपत्र की	
क्रम–संख्या	

नाम	अधिमान
1..	
2..	
3..	
इत्यादि	

————————————————

अनुदेश (Instruction)

1– जिन व्यक्तियों के नाम मतपत्र में दिये हुये हैं, वे क्षेत्र पंचायत .... के प्रमुख के पद पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं।

2– मत उस उम्मीदवार के नाम के सामने दिये हुये स्थान पर संख्या 1 लिखकर, जिसे मतदाता अपना प्रथम अधिमान देने की इच्छा करे, अभिलिखित किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त मतदाता अन्य उम्मीदवारों के नामों के सामने दिये हुये स्थान पर, अधिमान के क्रमानुसार, संख्या 2, 3, 4 आदि लिखकर बाद के उतने अधिमानों को अंकित कर सकता है जितने वह चाहे।

वाह्यपर्ण पिछला भाग

मतपत्र की क्रम–संख्या ....

——————————————

प्रपत्र 7—क

[नियम 25(7) देखें]

अनपढ़, अंधे और अशक्त मतदाताओं की सूची

प्रमुख, ज्येष्ठ/कनिष्ठ उप प्रमुख का निर्वाचन

क्षेत्र पंचायत..

मतदान केन्द्र का नाम..

1. सदस्यों की सूची में निर्वाचक की क्रम—संख्या........................
2. निर्वाचक का पूरा नाम........................
3. साथी का पूरा नाम........................
4. साथी का पता...
5. साथी का हस्ताक्षर........................

दिनाँक........................

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

———————————————

प्रपत्र 8

(नियम 29)

क्षेत्र पंचायत.. जिला...

प्रमुख के पद का निर्वाचन परिणाम

क्र. सं.	उम्मीदवार का नाम	पहली गणना में प्राप्त मत	प्रथम निष्कासन (exclusion) पर मिले मत	स्तम्भ 3 और 4 का योग	द्वितीय निष्कासन पर मिले मत	स्तम्भ 5 और 6 का योग	तृतीय निष्कासन पर मिले मत	स्तम्भ 7 और 8 का योग	चौथे निष्कासन पर मिले मत	स्तम्भ 9 और 10 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	समाप्त (Exhausted) मत									
	योग									

वैध मतपत्रों की कुल संख्या....................... जो....................... मतों के परिसूचक हैं।
अवैध मतपत्रों की कुल संख्या....................... जो....................... मतों के परिसूचक हैं।
मैं घोषणा करता हूँ कि
नाम...
पता...
क्षेत्र पंचायत... जिला... के प्रमुख के पद के लिए विधितः निर्वाचित हो गए हैं।
स्थान.......................
दिनाँक....................... 20.......................

निर्वाचन अधिकारी

अनुसूची 2
(नियम 27)

निर्वाचन परिणाम के अवधारण के लिए अनुदेश

1— इस अनुसूची में—

(1) पद"अविरत उम्मीदवार" का तात्पर्य किसी ऐसे उम्मीदवार से है, जो उस समय तक न तो निर्वाचित हुआ और न मतदान से अपवर्जित हुआ हो;

(2) पद"प्रथम अधिमान" का तात्पर्य किसी उम्मीदवार के नाम के सामने लिखी गई संख्या 1 से है, इसी प्रकार पद "द्वितीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 2 से है, "तृतीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 3 से है और इसी प्रकार आगे के अधिमानों का अर्थ लगाया जाएगा।

(3) पद "प्राप्त अन्यतम अधिमान" का तात्पर्य किसी अविरत उम्मीदवार के लिए अभिलिखित द्वितीय अथवा बाद के ऐसे अधिमान से है जिसकी संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो, किन्तु इसमें पहले अपवर्जित उम्मीदवार के लिए अभिलिखित अधिमानों पर विचार नहीं किया जाएगा

(4) पद "असमाप्त—पत्र" का तात्पर्य ऐसे मतपत्र से है जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए और अधिमान अभिलिखित किया गया हो।"

(5) पद "समाप्त पत्र" का तात्पर्य ऐसे मतपत्र से है जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए और कोई अधिमान अभिलिखित न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पत्र समाप्त समझा जाएगा जिसमें :

(क) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों के आगे, चाहे वे अविरत हों या न हों, एक ही संख्या अंकित

हो, और वह संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो; अथवा

(ख) जिस उम्मीदवार के लिए अन्यतम अधिमान व्यक्त किया गया हो, उसके नाम के आगे चाहे व अविरत हो या नहीं, ऐसी संख्या अंकित हो जो मतपत्र पर लिखित किसी अन्य संख्या के ठीक आगे की न हो, या कोई दो या अधिक संख्यायें अंकित हों।

2— प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निश्चित करें और उस संख्या को उसके नाम में लिख दें।

3— सभी उम्मीदवारों के नामों में लिखी हुई ऐसी संख्याओं को जोड़ें, और इस योग को दो से विभाजित करें और शेष का कोई विचार न करके भजनफल में एक जोड़ दें। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मीदवार के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त अभ्यंश होगी।

4— (1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले केवल दो उम्मीदवार हों, तो—

(क) यदि एक उम्मीदवार दूसरे से अधिक संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करें, तो पहले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें, या

(ख) यदि दोनों उम्मीदवार बराबर संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करें, तो पर्ची डालकर निर्वाचन परिणाम अवधारित करें। उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें जिसके नाम पर्ची पड़े तथा दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें।

(2) यदि दो से अधिक उम्मीदवार हों और—

(क) उनमें से एक के संबंध में यह पाया जाए कि उसने अनुदेश संख्या 3 के अधीन अवधारित अभ्यंश (quota) के बराबर या उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त किए हैं तो उसे निर्वाचित घोषित करें, या

(ख) उनमें से किसी ने पूर्वोक्त अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त न किए हों तो द्वितीय और अनुवर्ती अधिमानों को यथावश्यकता, ध्यान में रखते हुये आगे दिये हुये अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करें।

5– यदि प्रथम, अथवा किसी बाद की, गणना के अन्त में किसी उम्मीदवार के नाम में लिखे गए कुल मतों की संख्या अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक हो, या केवल एक ही अविरत उम्मीदवार शेष हो, तो वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

6– यदि किसी गणना की समाप्ति पर, कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित न किया जा सके तो–

(क) उस उम्मीदवार को अपवर्जित कर दें जिसके नाम उस समय तक सबसे कम मत लिखे गए हों,

(ख) उसके पार्सल अथवा लघुपार्सल (Sub-parcel) के सभी मतपत्रों की जाँच करें। लघु पार्सलों की असमाप्त पत्रों को अविरत उम्मीदवारों के लिए उनमें अभिलिखित प्राप्त अधिमानों के अनुसार क्रमबद्व करें, ऐसे प्रत्येक लघु पार्सल के मतों की संख्या गिनें और उन्हें उस उम्मीदवार के नाम में लिखें जिसके लिए ऐसे अधिमान अभिलिखित किए गए हों। वह लघु पार्सल उस उम्मीदवार को संक्रमित कर दें और सभी समाप्त–पत्रों का एक अलग लघु पार्सल बनायें और

(ग) यह देखें कि ऐसे संक्रमण तथा नाम में लिखने के पश्चात् किसी अविरत उम्मीदवार ने अभ्यंश प्राप्त किया है या नहीं; उस दशा में जब उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन किसी उम्मीदवार को अपवर्जित करना हो और दो या दो से अधिक उम्मीदवार के नामों में बराबर संख्या में मत लिखे

गए हों तथा उन्हें सबसे कम मत प्राप्त हुये हों, तो उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें जिसने सबसे कम प्रथम अधिमान मत प्राप्त किए हों और यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारो ं की वह संख्या भी बराबर हो तो पर्ची डालकर यह निर्णय करें कि उनमें से किसे अपवर्जित किया जाए। उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित समाप्त–पत्रों के सभी लघु पार्सल अंतिम रूप से निस्तारित होकर पृथक् कर दिये जायेंगे और उनमें अभिलिखित मतों पर तत्पश्चात् विचार न किया जाएगा। दृष्टान्त– मान लिजिये कि क, ख, ग और घ चार उम्मीदवार हैं और उन्हें प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निम्नलिखित है–

क..12

ख..11

ग..7

घ..5

योग..

अभ्यंश 35 / 2+1= 18 होगा।

पहली गणना में किसी भी उम्मीदवार ने अभ्यंश के बराबर अथवा उससे अधिक मत प्राप्त नहीं किए, इसीलिए न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार, अर्थात् घ को अपवर्जित कर दिया जाएगा। मान लीजिये कि घ के पार्सल में निम्नलिखित प्रकार से केवल चार मतपत्रों पर द्वितीय अधिमान अंकित है :

क..................................2

ख..................................2

पाँचवाँ मतपत्र समाप्त–पत्रों के लघु पार्सल में रख दिया जाएगा तथा दो–दो पत्र जिसमें क और ख के लिए द्वितीय अधिमान अभिलिखित हैं क और ख के लिए अलग–अलग लघु पार्सलों में रख

दिये जायेंगे और उनमें से प्रत्येक के नाम के दो मत और लिख दिये जायेंगे। अब क, ख और ग के मत निम्नांकित होंगे :

क...................................12+2

ख...................................11+2

ग...................................7

क्योंकि द्वितीय गणना की समाप्ति पर कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता इसलिए अब तीनों अविरत उम्मीदवारों में से न्यूनतम मत पाने वाला उम्मीदवार अपवर्जित कर दिया जाएगा और उसके मत दूसरे अविरत उम्मीदवार क और ख को संक्रमित कर दिये जायेंगे। मान लीजिए कि ग के पार्सल में सभी मतपत्रों पर द्वितीय अधिमान अभिलिखित है और वे निम्नलिखित प्रकार से है :

क...................................4

ख...................................3

क और ख के नाम में इन अतिरिक्त मतों के लिखने पर क को 18 मत प्राप्त हो जायेंगे जो कि अभ्यंश के बराबर हो जायेंगे और ख के 16 मत हो जायेंगे। अतः क निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

पी0एस0यू0पी0–85 त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–24.12.2020–200 पुस्तिका (डी0टी0पी0 / आफसेट)।